विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-07 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
7 (क) क्या कारागार मंत्री बतायेगे कि कारागारों में बन्दियों से श्रम लिये जाने की व्यवस्था है?	जी हाँ,
(ख) क्या उसके बदले में दिये गये पारश्रमिक का भुगतान जेल प्रशासन में निहित होता है?	जी हाँ,
(ग) यदि हाँ, तो कुशल एवं अर्धकुशल / अकुशल बन्दियों के पारश्रमिक के मामले में जेल प्रशासन द्वारा कुशल बन्दियों को भी अकुशल बन्दियों के रूप में गणना कर लिया जाता है?	जी नहीं, शासनादेश दिनांक 08.08.2023 द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल बन्दियों की पारिश्रमिक की दरें अलग-अलग निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार ही बन्दियों को उनके कौशल के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।
(घ) बन्दियों के श्रेणीवार पारिश्रमिक दरें तय करने की व्यवस्था क्या है?	शासनादेश दिनांक 08.08.2023 के अनुसार वर्तमान में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल बन्दियों को पारिश्रमिक के रूप में रू0 81/-, रू0 60/- एवं रू0 50/- का भुगतान किया जा रहा है, जिसे प्रत्येक वर्ष की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक/मंहगाई की बढ़ी दरों के आधार पर पुनरीक्षित किये जाने की व्यवस्था है।
(ड़) क्या जनपद सिद्धार्थनगर के कारागार में श्रम के नाम पर हो रहे बन्दियों के शोषण की उच्चस्तरीय जॉच कराकर आख्या सदन की मेज पर रखेंगे?	जनपद सिद्धार्थनगर के कारागार में श्रम के नाम पर हो रहे बन्दियों के शोषण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है।

दारा सिंह चौहान
मंत्री
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग।